जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर—302008
फोन नं0 — 0141—2747041, फैक्स नं0 — 0141—2744803
ईमेल — c_comml@yahoo.com

क्र0 जेपीडी/अ.अ.(वा.)/सी—I/एफ.4(427)/प्रे0 832 जयपुर, दिनांक— 3/5/2013

# आदेश

विषय — फार्म हाउस श्रेणी के कनेक्शनों को घरेलू सेवा से कृषि सेवा में परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

टैरिफ आदेश 08.08.2012 की अनुपालना में निगम द्वारा "विद्युत आपूर्ति की दरें—2012" (जेपीआर 5—657) जारी किया गया, जिसके अनुसार मूल घरेलू उपयोग हेतु फार्म हाउस के कनेक्शनों को घरेलू श्रेणी की प्रायोज्यता में शामिल किया गया था एवं टिप्पणी (ix) के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि "यदि किसी फार्महाउस में घरेलू के अलावा अन्य गतिविधियां की जा रही हैं तो कनेक्शन की टैरिफ हेतु उपभोग की श्रेणी अनुसार पुनः श्रेणीबद्ध किया जायेगा।"

कुछ कृषकों द्वारा आपत्ति की गई है कि उनके कृषि सेवा के अन्तर्गत फार्म हाउस श्रेणी के कनेक्शनों को घरेलू श्रेणी में परिवर्तित कर दिनांक 10.08.2012 के उपरान्त उन्हें घरेलू दर से बिल भेजे जा रहे हैं जबकि उनके द्वारा विद्युत का उपभोग केवल खेती के लिए ही किया जा रहा है।

दिनांक 22.04.2013 को आयोजित डिस्कॉम कॉर्डिनेशन फोरम की बैठक में उपरोक्त विषय पर चर्चा की गई एवं फोरम में लिये गये निर्णयानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी क्षेत्र के फार्म हाउस श्रेणी में जारी कनेक्शनों का केवल कृषि कार्य में ही उपयोग हो रहा है तो ऐसे कनेक्शनों को कृषि की संबंधित श्रेणी (ब्लॉक सप्लाई या ब्लॉक से अधिक सप्लाई) में दिनांक 10.08.2012 से प्रभावी मानकर बिलिंग की जाये। यदि कनेक्शन का उपयोग कृषि कार्य में न होकर अन्य उपयोग के लिए हो रहा है तो टैरिफ की श्रेणी/उपभोग के अनुसार यथा घरेलू, अघरेलू लागू की जावे। यदि कनेक्शन का उपयोग दोनों कृषि व घरेलू/अघरेलू के लिए हो रहा है तो घरेलू/अघरेलू कनेक्शन हेतु नया कनेक्शन नियमानुसार आवेदन करने पर लिया जा सकेगा एवं तदोपरान्त ही ऐसे फार्म हाउस श्रेणी के कनेक्शनों को संबंधित कृषि श्रेणी में परिवर्तन हो सकेगा।

इस संबंध में कृषि श्रेणी में पुनः परिवर्तित किये गये कनेक्शनों की सम्पूर्ण सूचना सभी संबंधित अधिकारी मुख्य लेखाधिकारी (ए.टी.आर.) को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे जिससे उनके द्वारा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

आज्ञा से

3.05.13

(आर0 पी0 अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

D/joshi/JPR-